

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

(हस्ताक्षर):-

(पदनाम):-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर):-

(पदनाम):-

कार्यालय

तारीख

[Handwritten signature]
18-X-2023

[Handwritten signature]
18-10-23

जिला निबंधन कार्यालय, गुमला
18-10-23 मुहर।
जिला अवर निबंधक
गुमला



निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जाँच करनी हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगे।

(क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदन ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।